as well as the rise in the initial payment of cost of land from 25 per cent to 35 per cent; and

(f) if so, what is Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) The DDA has reported that it has been decided to allot land to 260 cooperative group housing societies in Dwarka Phase-I.

(b) The 11 eligible societies registered prior to 1983 have been considered. In addition, offer-cum-demand letters have been sent to 246 eligible societies on the basis of the list prepared by Registrar, Cooperative Societies, Delhi Administration in the light of the seniority criterion stipulated by Delhi High Court in its judgement of 10-5-91 as upheld by Supreme Court. As and when additional suitable plots become available these will be offered to the remaining societies according to their turn in the aforesaid criteria.

(c) and (d) The price of Rs. 975/- per sq. mtr. allotment of land to cooperative group housing societies fixed in December, 1990 was valid upto 31-3-91 only. The current rate of Rs. 1650.75 per sq. mts. for land allotment to cooperative group housing societies in Dwarka has been fixed. The main reasons for enhancement are :—

(i) Enhancement in the cost of land acquisition;

(ii) Enhancement in the cost of peripheral development.

(e) Yes, Sir.

(f) 35% premium of land comprising an amount of 10% of the land premium as earnest money and 25 per cent towards premium for the land has been asked for from the societies in accordance with the relevant provisions of DDA, Nazul Rules, 1981.

दिल्ली की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा भूमि की कीमत का निक्षेप किया जाना

1955. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री विरेन जे० शाह :
श्री राम जेठमलानी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि की कीमत निर्धारित करने के बाद द्वारका स्कीम के अन्तर्गत पिछले वर्ष को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को भूमि के आवंटन से पूर्व भूमि की कीमत का कुछ भाग जमा करने के लिए कहा था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सोसाइटियों से भूमि की कीमत जमा करने का अनुरोध किया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रति वर्ग मीटर भूमि का क्या मूल्य निर्धारित किया था ;

(ग) क्या अब तक सोसाइटियों को जमीन सौंप दी गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ङ) क्या भूमि आवंटन की पेशकश वापस ले ली गई है और सोसाइटियों द्वारा जमा की गई राशि उन्हें लौटा दी गई है ;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(छ) उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने सोसाइटियों द्वारा जमा की गई राशियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास रखा हुआ है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और

(ख) : डी० डी० ए० में लगभग 424 समितियों को अक्तूबर–नवम्बर, 1990 में पेशकश पत्र भेजे थे जिसमें प्रत्येक को 5 लाख रुपये की धरोहर राशि जमा कराने तथा द्वारका फेज–I/ नरेला और नरेला/द्वारका फेज–II में भूमि के आबंटनार्थ अपनी पंसद इंगित करने के लिए कहा गया था । तत्पश्चात्, जनवरी, 1991 में 227 समितियों से द्वारका फेज–I में आबंटित की जाने वाली भूमि के लिए 31–3–91 तक मान्य, 975/– रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 50% प्रीमियम जमा कराने के लिए कहा गया था ।

(ग) और (घ) भूमि आबंटित करने के लिए डी० डी० ए० द्वारा उपयोग की गई 1983 में पंजीकृत समितियों की वरिष्ठता सूची के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय, में मुकदमें के कारण समितियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका । उच्च न्यायालय ने दिनांक 10–5–1991 के अपने फैसले में पंजीयक, सरकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची को मंसूख कर दिया और वर्ष 1983 में पंजीकृत समितियों को किये गए आवंटन को निरस्त कर दिया ।

(ङ) और (च) उच्च न्यायालय के 10–5–1991 के आदेश से दुष्प्रभावित कुछ समितियों ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी । उच्चतम न्यायालय ने 17–9–1992 को निर्णय लिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुसार समितियों को भूमि आवंटित की जाये । डी० डी० ए० ने, उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई सूची में उल्लिखित समितियों तथा उन समितियों को, जिन्होंने धन-राशि वापस मांगी थी, केवल उन दो मामलों को छोड़कर जिनमें आवश्यक जांच चल रही है, धरोहर राशि/भूमि का पार्ट प्रीमियम लौटा दिया है । डी० डी० ए० द्वारा समितियों के विशेष अनुरोध प्राप्त होने तथा उनको विधिवत सत्यापन किये जाने के पश्चात् धनराशि लौटाई जाती है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

Renovation of Vigyan Bhavan

1956. SHRI BALBIR SINGH :
DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state to which agency the work of renovation of Vigyan has been assigned ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : The work relating to renovation of Vigyan Bhawan has been a assigned to the Central Public Works Department.

Implementation of Immovable Property Act, 1952

1957. SHRI JAGIR SINGH DARD :
DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of private premises requisitioned by Government under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952) in New Delhi;

(b) to what use these premises are being put; and

(c) since how long these premises are under acquisition ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) to (c) A detailed statement giving the details of private properties requisitioned under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952), the date of requisition and the purpose for which used is given in the Statement.